(172)

CANCELLED CANCELLED CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट जबलपुर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण............. नि -1112 - I-16

1.सिद्धार्थ राव तांबे आत्मज स्व. चंद्रशेखर राव तांबे

निवासी डॉ. मोहम्मद अफसर खान 2/13 खान

केम्पस, पुष्पराज नगर रीवा तह.व जिला रीवा(म.प्र.)

(37)

श्री एम०एस०-....... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुत 2158
2 9 MAR 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

2.संतोष राव तांबे आत्मज स्व. रामचन्द्र तांबे

4.श्रीमति प्रज्ञा तांबे पत्नि संतोष राव तांबे

क्रं. 1 एवं 2 निवासी आजाद वार्ड मण्डला

तह.व जिला मण्डला(म.प्र.) .... आवेदकगण/उत्तरवादीगण

विरूद्ध

1. कृष्णराव तांबे आत्मज स्व. रामचंद्र राव तांबे

2. विनायक राव तांबे आत्मज स्व. रामचंद्र राव तांबे

दोनो निवासी आजाद वार्ड मण्डला तह. व

जिला मण्डला .... अनावेदकगण/अपीलार्थीगण

पुनरीक्षणाधीन आदेश :–

श्री प्रवीण फुलपगारे अनुविभागीय अधिकारी मण्डला ने राजस्व अपील क्रं. 3(अ–6)11–12 कृष्णराव वगैरह विरूद्ध चंद्रशेखर वगैरह में पारित आदेश दिनांक 05.02.16 जिसमें अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 व्य.प्र.सं. का स्वीकार किया गया है, के विरूद्ध।

प्रकरण के तथ्यः–

यह कि, अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार मण्डला के रा.प्र.क्रं. 400(अ–6)08–09 में पारित आदेश दिनांक 05.01.10 के विरूद्ध अपील उत्तरवादीगण के विरूद्ध पेश की है, जिसमें अपील के लंबन काल में उत्तरवादी क्रं 1 चंद्रशेखर राव की मृत्यु दिनांक 26.01.13 को हो जाने के कारण उसके वारिस सिद्धार्थ राव तांबे को पक्षकार बनाने हेतु –

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1112-एक/16 **जिला** - मण्डला

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25 /02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u>**	